न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–167 / 2023 दायर दिनांकः 03.07.2023

GCMS NO:- 2023/257 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. रामलक्ष्मण आ0 बरधीलाल जाति धोबी नि0 जरखोदा।
2. मु0 सन्तरा पत्नी स्व. श्री बरधा जाति धोबी नि0 जरखोदा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. भू0अभिलेख अधिकारी सर्किल करवर तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

निर्णय दिनांक 02.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम जरखोदा पटवार मण्डल जरखोदा में प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 332 रकबा 0.3398 हैक्टयर स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड मे कमलेश पुत्र बरधा हि0 1/5 जाति धोबी सा. देह खातेदार, निर्मला पुत्री बरधा हि0 1/5 जाति धोबी सा. देह खातेदार, मु. सन्तरा पत्नी स्व. बरधा हि0 1/5 जाति धोबी सा. देह खातेदार, मुकेश पुत्र बरधा हि0 1/5 जाति धोबी सा. देह खातेदार, रामलक्ष्मण पुत्र बरधा हि0 1/5 जाति धोबी सा. देह खातेदार दर्ज है।

यह कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे उक्त भूमि खसरा नम्बर 332 की दिनांक 26.6.2023 को हंकाई कर रहा था तो पडोसी खातेदारान ने प्रार्थीगण से उक्त खेत की सीमा संबंधी कहा सूनी कर सीमाज्ञान करवाने हेतु कहा जिससे भविष्य मे अब प्रार्थीगण के खेत की सीमा को लेकर विवाद पैदा हा सकता है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से जब खेत की सीमा का निर्धारण कर स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) मौके पर कायम करने हेतु निवेदन किया गया तो अप्रार्थीगण ने न्यायालय आदेश लाने के लिए प्रार्थीगण को निर्देशित किया जो वाद का कारण है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रेस शपथ पत्र की प्रति आदि पेश कर अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट के तहत् पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

तहसीलदार नैनवॉ द्वारा क्रमांक/1786/भू0अ0/25 दिनांक 30.04.2025 से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे निहित खसरा नम्बर 332 रकबा 0.3398 हैक्टयर भूमि के सीमाज्ञान के लिए गत वर्ष आवेदन किया गया था लेकिन उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही होने से सीमाज्ञान नही किया जा सका। अतः मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के प्रार्थीगण का उक्त खसरा नम्बर पर कब्जा नही होने से पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ